

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
अररिया, पूर्णियाँ, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, मुजफ्फरपुर,
गोपालगंज, सहरसा, सारण, समस्तीपुर एवं सिवान।

पटना-15, दिनांक-31/8/17

विषय-

केन्द्र सरकार से प्राप्त खाद्यान्न को बाढ़ प्रभावित जिलों को आवंटित करने के संबंध में।


महाषय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-2604 दिनांक-28.08.2017 के क्रम में कहना है कि उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं जन वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-2/Bihar/2016-BP.III दिनांक-31.08.2017 के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य के बाढ़ प्रभावितों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को आवंटित 11,263 मे0 टन अतिरिक्त चावल को आवश्यकता के अनुरूप जिलों को आवंटित करने का अनुरोध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-4416, दिनांक-31.08.17 द्वारा किया गया है, जिसका मूल्य जमा करने एवं उठाव की अवधि पत्र निर्गत की तिथि से 30 दिन निर्धारित किया गया है। जिसके आलोक में बाढ़ प्रभावितों के लिए जिलों के सामने कॉलम-4 में अंकित मात्रा में खाद्यान्न (चावल) आवंटित किया जाता है:-


क्र०	जिला का नाम	पूर्व में विभागीय पत्रांक-2413 दिनांक-17.08.2017 एवं पत्रांक-2549 दिनांक-23.08.2017 द्वारा आवंटित खाद्यान्न (चावल) की मात्रा (मे0टन में)	वर्तमान आवंटित खाद्यान्न (चावल) की मात्रा (मे0टन में)	कुल आवंटित खाद्यान्न (चावल) की मात्रा (मे0टन में)
1	2	3	4	5
1	अररिया	1438	1062	2500
2	पूर्णियाँ	1578	539	2117
3	कटिहार	2000	1053	3053
4	पूर्वी चम्पारण	1353	2422	3775
5	दरभंगा	600	2000	2600
6	मधुबनी	830	400	1230
7	सीतामढ़ी	2175	1060	3235
8	सुपौल	625	9	634
9	मुजफ्फरपुर	326	1457	1783
10	गोपालगंज	630	756	1386
11	सहरसा	294	186	480
12	सारण	291	245	536
13	समस्तीपुर	00	64	64
14	सिवान	00	10	10
	कुल	12140	11263	23403

अनुरोध है कि उपर्युक्त आवंटित खाद्यान्न का उठाव ससमय करने की कृपा की जाय तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न के मूल्य के साथ ही जिलों में डोर स्टेप डिलेवरी योजनान्तर्गत निर्धारित दर के अनुसार खाद्यान्न के हथालन एवं परिवहन मूल्य का भी भुगतान किया जाय। भारतीय खाद्य निगम के पत्रांक-1/7/2017-18/सेल्स दिनांक-17.08.17 द्वारा संसूचित दर तालिका संलग्न है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक 81 / आ०प्र० पटना-15, दिनांक- 31/8/17
प्रतिलिपि: सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-4416, दिनांक-31.08.17 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक 81 / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक- 31/8/17
प्रतिलिपि- सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक 81 / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक- 31/8/17
प्रतिलिपि- महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, अरुणाचल भवन, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम लिमिटेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 81 / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक- 31/8/17
प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के अप्त सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 81 / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक- 31/8/17
प्रतिलिपि- विभागीय बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

